

न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या-160/2021

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार बनाम अज्ञात


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
	<p>यह वाद समाहर्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं०-377/म०नि०, दिनांक 29.05.2021) के आलोक में फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या-20/2021, दिनांक 04.05.2021, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त दो पहिया वाहन बजाज पल्सर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-अंकित नहीं, चेसीस संख्या-MD2A11 CYXJCG01776, ईजन संख्या-DHYCJG87573 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई।</p> <p>जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक 930/जि०परि०, दिनांक 19.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि संबंधित वाहन के वाहन स्वामी का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः इस वाद को आदेश पर रखा गया।</p> <p>अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक उप निरीक्षक, 56वीं वाहिनी एस०एस०बी०, बी०ओ०पी०, पथराहा चौकी प्रभारी दिनांक 04.05.2021, समय 1:25 बजे प्राप्त आसूचना के आधार पर मु०आ० ईत्यादि के साथ मानिकपुर सीमा स्तम्भ संख्या-189/3 WP-3 के पास नाका के लिए बी०ओ०पी०, पथराहा से रवानगी कराया तथा वहाँ पहुँचने के बाद नाका लगाया गया। नाका के दौरान समय लगभग 02:10 बजे रात्री में देखा गया कि एक मोटर साईकिल चालक नेपाल की तरफ से भारत की ओर आ रहा है। मोटर साईकिल चालक ने एस०एस०बी० पार्टी को देखकर गाड़ी को पीछे मोड़कर नेपाल की तरफ भागने लगा। उन्हें पकड़ने के लिए नाका पार्टी भी दौड़ी। मोटर साईकिल चालक गाड़ी को वही पर गिराकर नेपाल की तरफ भाग गया। मोटर साईकिल की तलाशी लेने हेतु दो सिविल स्वतंत्र गवाह को ढूँढ़ने की कोशिश की गई। रात्री एवं रात्रि कपर्यू होने के कारण दो स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। ड्यूटी पर तैनात दो जवानों को गवाह बनाकर मोटर साईकिल की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पल्सर मोटर साईकिल के उपर सफेट रंगी बोरी खोलने पर 30 बोटल नेपाली दिलवाले शराब प्रति बोटल 300 मिली लीटर, कुल 09 लीटर बरामद हुआ। बरामद शराब एवं वाहन को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में शराब की पुष्टि की गई है।</p> <p>अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त दो पहिया वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त दो पहिया वाहन राजसात होने योग्य है।</p>	


अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त जब्त दो पहिया बजाज पल्सर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-अंकित नहीं का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त वाहन बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या-20/2021, दिनांक 04.05.2021 में जब्त दो पहिया वाहन बजाज पल्सर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-अंकित नहीं, चेसीस संख्या-MD2A11CYXJCG 01776, ईजन संख्या-DHYCJG87573 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।


उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,


अपर समाहर्ता,
अररिया


अपर समाहर्ता,
अररिया

- ज्ञापांक87...../रा(न्या0), अररिया, दिनांक 24/05/2021
- प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर समाहर्ता,
अररिया